

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में "क्लीनिकल भ्रूणविज्ञानी" पद के लिए भर्ती नियम मे संशोधन के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में "क्लीनिकल भ्रूणविज्ञानी" पद के भर्ती नियम मे संशोधन के लिए संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहे तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

नई दिल्ली  
दिनांक :

**अभिषेक पाण्डेय**

(अभिषेक पाण्डेय)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष: 011- 23061843  
(अभिषेक पाण्डेय)  
(ABHISHEK PANDEY)  
अवर सचिव/Under Secretary  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
Ministry of Health & Family Welfare.  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख:

, 2025

अधिसूचना

सा.का.नि..... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (क्लीनिकल भ्रूणविज्ञानी) भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में क्लीनिकल भ्रूणविज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, क्लीनिकल भ्रूणविज्ञानी, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.- वह व्यक्ति,-
- जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	--------------	----------	-------------------------	----------------	---

(1)	(2)	(3)	(4)	पद (5)	(6)
क्लीनिकल भूणविज्ञानी।	* 01(2025 ) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 11(67700- 208700 रूपये)।	लागू नहीं होता।	23 से 40 वर्ष ( टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की सकती है)।  टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
---	---	-------------------------------------	---	--

	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लीनिकल भ्रूणविज्ञान (न्यूनतम चार सेमेस्टर के पूर्ण कालिक कार्यक्रम के साथ स्नातक) में स्नातकोत्तर के साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में तीन वर्षों का अतिरिक्त अनुभव;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी होल्डर का पूर्ण कालिक पीएचडी प्रोजेक्ट क्लीनिकल भ्रूण विज्ञान (पूर्ण कालिक प्रोग्राम) या सहायक रेप्रोडक्टिव प्रोद्योगिकी या फर्टिलिटी से संबंधित के साथ साथ मानव युग्मक एवं भ्रूणों के हथालन में मानव एआरटी प्रयोगशाला में एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव होना चाहिए;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्लीनिकल भ्रूणविज्ञान में</p>	लागू नहीं होता।	<p>दो वर्ष।</p> <p>टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।</p>	<p>संयुक्त पद्धति द्वारा विधि [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / पदोन्नति] जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>संयुक्त पद्धति द्वारा विधि [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / पदोन्नति]:</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177550/- रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो सतंभ (7) के तहत सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।</p>

स्नातकोत्तर डिग्री के साथ  
मेडिकल

ग्रेजुएट(एमबीबीएस) या  
वेटेरिनरी

ग्रेजुएट(बीवीएससी) के  
साथ साथ मानव युग्मक  
एवं भ्रूणों के हथालन में  
एआरटी प्रयोगशाला में दो  
वर्षों का अतिरिक्त अनुभव  
होना चाहिए;

या

पंजीकृत एआरटी लेवल  
2 क्लिनिकल में मानव  
युग्मकों एवं भ्रूणों के  
हथालन में चार वर्षों के  
अनुभव के अतिरिक्त  
जीव विज्ञान या  
बायोटेक्नॉलजी में  
स्नातकोत्तर सहित कार्य-  
स्थल पर न्यूनतम एक  
वर्ष का पूर्ण कालिक  
क्लीनिकल भ्रूणविज्ञान  
प्रमाणित प्रशिक्षण।

टिप्पण 1: अर्हताएं  
अन्यथा सुअर्हित  
अभ्यर्थियों की दशा में  
संघ लोक सेवा आयोग या  
सक्षम प्राधिकारी के  
विवेकानुसार, उन कारणों  
के लिए जो लेखबद्ध किए  
जाएंगे, शिथिल की जा  
सकती हैं।

टिप्पण- 2 : अनुभव  
संबंधी अर्हताएं अनुसूचित  
जातियों और अनुसूचित  
जनजातियों के अभ्यर्थियों

टिप्पण

1:-

प्रतिनियुक्ति(जिसके  
अंतर्गत अल्प कालिक  
संविदा शामिल है) की  
अवधि, जिसमें केंद्रीय  
सरकार के उसी या किसी  
अन्य संगठन या विभाग  
में इस नियुक्ति से ठीक  
पहले धारित किन्हीं अन्य  
काडर-बाह्य पद पर  
प्रतिनियुक्ति(जिसके  
अंतर्गत अल्प कालिक  
संविदा शामिल है) की  
अवधि है, साधारणतया  
तीन वर्ष से अधिक नहीं  
होगी।

टिप्पण

2:-

प्रतिनियुक्ति(जिसके  
अंतर्गत अल्प कालिक  
संविदा शामिल है) द्वारा  
नियुक्ति के लिए  
अधिकतम आयु-सीमा  
आवेदन प्राप्त करने के  
लिए अंतिम तारीख को  
छप्पन वर्ष से अधिक नहीं  
होगी।

<p>की दशा में संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>				
--	--	--	--	--

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;</li> <li>2. संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल</li> </ol>	<p>सीधे भर्ती किए जाने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

- सदस्य;

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सफदरजंग अस्पताल का  
कार्य देखने वाले निदेशक प्रशासन

- सदस्य।

[A.11018/32/2024-MH-II]

अभिषेक पांडे  
(अभिषेक पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार